

1062 से 1099

पृष्ठां ० क्रो

/ एक-१४-०१/९३(SW)

(Advocate Clerk File)

पन्ना, दिनांक २६ मार्च, २०२५

प्रतिलिपि :- यथाआदेश।

- (01) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना
(02) विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़), पन्ना
(03) प्रथम / द्वितीय / तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना
(04) जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पवई जिला पन्ना
(05) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ-खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना
(06) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ-खण्ड / न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई
(07) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, पन्ना के प्रथम अति-न्यायाधीश पन्ना
(08) प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ-खण्ड एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पन्ना
(09) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ-खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पवई
एवं ग्राम न्यायाधिकारी पवई, जिला-पन्ना (म०प्र०)
(10) व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ-खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अजयगढ़
(11) प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार पन्ना / नजारत / प्रतिलिपि अनुभाग,
पन्ना / पवई / अजयगढ़
(12) कलेक्टर, जिला पन्ना (म०प्र०)
(13) अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, पन्ना / पवई / अजयगढ़
(14) प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(15) श्री बृजेश कुमार दहायत / श्री अब्दुल रज्जाक खाँन / श्री यशवंत कुमार
शर्मा / श्री राममिलन रजक / श्री रामलाल जड़िया / श्री जगनंदन राय / श्री शुभम्
साहू / श्री रामशरन तिवारी / श्री व्ही.पी.अहिरवार / श्री आसिफ खाँन / श्री बेटालाल
सिंह राजपूत / श्री समीर खाँन / श्री रामनाथ शिवहरे / श्री प्रवीण कुमार
गौतम / श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी / श्री प्रकाश कुमार रजक / श्री इशहाक
मोहम्मद / श्री दुर्ग सिंह की ओर लिंक-<https://forms.gle/Seqc16NLCidiJtDs8> के माध्यम से अपनी जानकारी भरे जाने हेतु।
(16) श्री शिवांश सेन / श्री रवीन्द्र कुमार खरे / रज्जब खान / श्री नीलम सोनी / श्री
पकज कुमार द्विवेदी / श्री अरविन्द सिंह लोधी / श्री नागेन्द्र सिंह चौहान
के द्वारा नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत न किये जाने से अधिवक्ता लिपिक की
मान्यता निरस्त करते हुए रजिस्टर से नाम विलोपित किया जाता है।
(17) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, पन्ना की ओर जिला न्यायालय की बेवसाइट पर
अपलोड किये जाने एवं उपरोक्त की ओर ईमेल से प्रेषित किये जाने हेतु।

(जिला रजिस्ट्रार)

कार्या-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म०प्र०)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना (मोप्र०)

(सांख्यिकीय अनुभाग)

॥ :: विविध आदेश :: ॥

क्रमांक—क्र्यू/एक—14—01/93(SW)
(Advocate Clerk File)

पन्ना, दिनांक मार्च, 2025

निम्नलिखित अधिवक्तागण द्वारा निजी लिपिक के रूप में कार्य करने के लिये अधिवक्ता लिपिक के नवीनीकरण/मान्यता की स्वीकृति प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

आवेदन पत्र मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1961 के नियम 541 तथा नियम एवं आदेश (आपराधिक) के नियम 753 के अधीन स्वीकार कर निम्नांकित लिपिकों को वर्ष-2025 हेतु अधिवक्ता लिपिक का कार्य करने के लिये पंजीबद्ध किया जाता है एवं सिविल न्यायालय अधिनियम के नियम 544 तथा नियम व आदेश (आपराधिक) के नियम 756 सहपठित नियम 01 एवं 03 के अधीन अनुमति की सूचना प्रसारित की जाती है :—

क्र०	नाम लिपिक	नाम अभिभाषक	स्थान	मान्यता / नवीनीकरण
(01)	श्री बृजेश कुमार दहायत	सुश्री कमलेश राजपूत, एड०	पन्ना	नवीनीकरण
(02)	श्री अब्दुल रज्जाक खाँन	श्री शालिगराम तिवारी, एड०	पन्ना	नवीनीकरण
(03)	श्री यशवंत कुमार शर्मा	श्री अजय कुमार पटेरिया, एड०	पन्ना	नवीनीकरण
(04)	श्री राममिलन रजक	श्री अशोक कुमार खरे, एड०	पन्ना	नवीनीकरण
(05)	श्री रामलाल जड़िया	श्री जे.के.राव, एड०	पन्ना	नवीनीकरण
(06)	श्री जगनंदन राय	श्री सी.डी. जायसवाल, एड०	पन्ना	नवीनीकरण
(07)	श्री शुभम् साहू	श्री संतराम अरजरिया, एड०	पन्ना	नवीनीकरण
(08)	श्री रामशरन तिवारी	श्री सुशील कुमार खरे, एड०	पन्ना	नवीनीकरण
(09)	श्री व्ही.पी. अहिरवार	श्री पवन शुक्ला, एड०	पन्ना	नवीनीकरण
(10)	श्री आसिफ खाँन	श्री जी०एस० शुक्ला, एड०	पन्ना	नवीनीकरण
(11)	श्री बेटालाल सिंहराजपूत	श्री अरविन्द कुमार निगम, एड०	पन्ना	नवीनीकरण
(12)	श्री समीर खाँन	श्री रोहित सोनी एड०	पन्ना	नवीनीकरण
(13)	श्री रामनाथ शिवहरे	श्री ओ.पी.शिवहरे एड०	पन्ना	नवीनीकरण
(14)	श्री प्रवीण कुमार गौतम	श्री दिनेश उपाध्याय, एड०	गुनौर	नवीनीकरण
(15)	श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी	श्री बालकृष्ण पटेल एड०	गुनौर	नवीनीकरण
(16)	श्री प्रकाश कुमार रजक	श्री एच.आर.शर्मा एड०	पवई	नवीनकरण
(17)	श्री इशहाक मोहम्मद	श्री जब्बार मोहम्मद	पवई	मान्यता
(18)	श्री दुर्ग सिंह	श्री जगरूप सिंह	पवई	मान्यता

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (मोप्र०)

१०/२५/०३/२०२५